20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. भारत पाँच रुपये

(104)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/4145-PBR-15

मोहर सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह, आयु–47 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– किरार कॉलोनी, कम्पू लश्कर ग्वालियर म0प्र0

................आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह,
2. लल्ली सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह
3. अंगूरीबाई पुत्री श्री रघुवर सिंह निवासीगण– ग्राम अमरौल तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म0प्र0
4. जानकी बाई पुत्री श्री रघुवर सिंह पत्नी श्री मायाराम निवासी–ग्राम बरौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

...........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2010 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 161/2009 निगरानी उनमान नारायण सिंह विरूद्ध जानकी बाई।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4145-पीबीआर।15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14-8-2018	आवेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक एवं श्री एम.एस. रावत, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री पुरूषोत्तम पाण्डे एवं अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से श्री एम.एल. दुबे, अभिभाषक उपस्थित । इस प्रकरण के तथ्य एवं पक्षकार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1515-पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 31-3-16 के समान हैं । अत: इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1515-पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 31-3-16 इस प्रकरण में भी लागू होगा । अत: उक्त आदेश की एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये । अध्यक्ष	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1515–पीबीआर / 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 161 / 09–10 / निगरानी.

नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह
निवासी ग्राम अमरोल
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

1– जानकीबाई पुत्री रघुवर सिंह उर्फ रघुवीर सिंह रावत
पत्नी मायाराम रावत
निवासी ग्राम बरौआ
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– लल्लीसिंह पुत्र रघुवर सिंह
3– मोहर सिंह पुत्र रघुवर सिंह
4– अंगूरीबाई पुत्री रघुवर सिंह
निवासीगण ग्राम अमरोल
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

श्री आशीष सारस्वत, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0एल0 दुबे, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/2/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 16–1–07 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 29–2–08 को अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 21 / 2007–08 / अपील दर्ज कर दिनांक 29–2–08 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन दिया जाकर यथास्थिति कायम की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–8–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह विविध आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखि आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के पूर्व अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का आवेदक को सूचना दी जाकर निराकरण करना चाहिए था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं करने से उनके द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके द्वारा स्वयं कोई आदेश पारित किया गया हो, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है ।

(3) संहिता की धारा 43 के अन्तर्गत जहां संहिता के प्रावधान मौन हैं, वहां व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 2 (ए)(2) के अंतर्गत यदि न्यायालय यह पाता है कि अनावेदक को सूचना दिये बिना आवेदन पत्र नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है तो इसकी सूचना अनावेदक को दी जायेगी और यथास्थिति नियम 11 या नियम 13 के अधीन अपील का निराकरण किया जायेगा । उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2012 (3) एम.पी.एल.जे. 158, 2008 (8) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 117 एवं 2002 (1) एस.सी.सी पृष्ठ 475 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जानकी बाई एवं अंगूरी बाई को छोड़कर फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करा लिया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं वैधानिक स्थिति पर विचार कर स्थगन दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 की ओर से केवल यही प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा उसे अनावेदक कमांक 3 के रूप में पक्षकार तो बनाया गया है, परन्तु उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । इसके साथ ही उसके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 4 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और अपर आयुक्त द्वारा भी अनावेदक कमांक 4 के पते पर तामील नहीं कराकर दूसरे पते पर तामील कराई गई है, जबकि अनावेदक कमांक 4 भूमिस्वामी की पुत्री है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 4 को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से उसके द्वारा पक्ष समर्थन नहीं किया जा सका है ।

7/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

8/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर निर्णय नहीं लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उनके समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए शीघ्र निराकरण करें, तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये । अतः उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर